"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अगस्त 2004—श्रावण 29, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2004

क्रमांक/बी-1/5/2004/1/4.—राज्य शासन, राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उनके नाम से सम्मुख कालम 4 में दर्शाये गये पदों पर पदस्थ करता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री बी. एल. बंजारे (आर. आर.-89, प्र. श्रे.)	उप सचिव, ऊर्जा विभाग, रायपुर	अपर कलेक्टर, बलौदाबाजार, जिला-रायपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री एन. के. खाखा (आर. आर.-86 प्र. श्रे.)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-सरगुजा.	अपर कलेक्टर, महासमुन्द
3.	श्री एस. एल. नायक (पी-94, व. श्रे.)	पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत	संयुक्त संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति.
4.	श्री के. के. अग्रवाल (पी-94, व. श्रे.)	डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग	डिप्टी कलेक्टर, कोरिया
5.	श्री के. सी. दास (पी-92, प्र. श्रे.)	अपर कलेक्टर, महासमुन्द	अपर कलेक्टर, नारायणपुर, जिला-बस्तर.
6.	श्री एस. सी. बंजारे (पी-98, क. श्रे.)	डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग	डिप्टी कलेक्टर, महासमुन्द

2. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24-5-2004 के सरल क्रमांक-2 पर अंकित श्री के. एल. ग्वाल, (आर. आर.-91, प्र.श्रे.) का स्थानान्तरण अवर सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर किये जाने से संबंधित है, में आंशिक संशोधन करते हुये अब श्री ग्वाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर पदस्थ किया जाता है.

3. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24-5-2004 के सरल क्रमांक-5 पर अंकित श्री जे. एस. दीक्षित (पी-94, व. श्रे.) का स्थानान्तरण संयुक्त कलेक्टर, कोरिया किये जाने से संबंधित है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

4. इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24-5-2004 के सरल क्रमांक-4 पर अंकित श्री सी. एस. डेहरे, (आर.आर.-91, व. श्रे.) का स्थानान्तरण संयुक्त कलेक्टर, बिलासपुर किये जाने से संबंधित है, में आंशिक संशोधन करते हुये अब श्री डेहरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2004

क्रमांक 3428/डी-965/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श से, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा की सदस्या श्रीमती शकुन्तला दास, अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3423/डी-965/21-ब/छ. ग./04. दिनांक 7-6-2004 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय रायपुर में पीठासीन न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

फा. क्र. 4335/डी-1747/21-ब/फास्ट ट्रेक कोर्ट/छ. ग./04.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अशोक कुमार दुबे, अधिवक्ता, अंबिकापुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट, अंबिकापुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

फा. क्र. 4337/डी-1747/21-ब/फास्ट ट्रेक कोर्ट/छ. ग./04.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गौरांगो सिंह, अधिवक्ता अंबिकापुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट, अंबिकापुर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

फा. क्र. 4388/डी-1217/21-ब/फास्ट ट्रेक कोर्ट/छ. ग./04.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अखिलेश पाण्डे, अधिवक्ता को फास्ट ट्रेक कोर्ट, कोरबा में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

फा. क्र. 4445/1736/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रामरेखा साहू, अधिवक्ता, कोरिया, बैकुण्ठपुर, छ. ग. को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए कोरिया, वैकुण्ठपुर के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, कोरिया, बैकुण्ठपुर, छ. ग. नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2004

क्रमांक 568/F-2-16/32/04.—छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा धर्मजयगढ़ नगर निवेश क्षेत्र का गठन करता है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

धर्मजयगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर — ग्राम सेमीपाली खुर्द, गेवरघुटरी एवं ग्राम अमली टिकरा की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम — ग्राम अमली टिकरा, शाहपुर एवं ग्राम तराईमार की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण — ग्राम तराईमार, मेड़रभाटा, दरीडीह एवं ओमना की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व — ग्राम ओमना, मड़रीमुडा, धर्मजयगढ़ एवं ग्राम सेमीपाली खुर्द की पूर्वी सीमा तक.

धर्मजयगढ़ निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या से संबंधित जानकारी

क्रमांक (1)	शहर ग्राम का नाम (2)		क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)	जनसंख्या 1991 (4)
1.	अमली टिकरा		1673.61	1431
2.	गेवरघुटरी		566.11	439
3.	सेमीपाली खुर्द		99.62	173
4.	शाहपुर		448.28	748
5.	तराईमार		358.71	307
6.	मेढ़रभाटा		156.54	171
7.	दरीडीह		630.64	779
8.	ओगना		1222.71	1005
9.	मड़रीमुडा		35.48	197
		योग (अ)	5191.70 हे.	5250
10.	धर्मजयगढ़ (नगरपालिका का क्षेत्र)	योग (ब)	3124.00 हे.	11000
		कुल योग (अ+ब)	8315.70 हे.	16250

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2004

क्रमांक 856/566/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा अड़भार नगर पंचायत के निवेश क्षेत्र का गठन करता है. जिसकी सीमाएं नीचे दर्शायी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची

अड़भार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर	-	ग्राम ढिमानी, बड़भार एवं हरदी की उत्तरी सीमा तक
पूर्व	-	ग्राम हरदी, बंजारी, संजारी एवं चरौदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण	-	ग्राम चरौदा एवं बंदौरा एवं बुंदेली की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम	-	ग्राम बंदोरा, बुंदेली एवं ढिमानी की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक 996/584/32/04.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन के सूचना क्रमांक 552/584/32/04 दिनांक 21-5-2004 द्वारा विकास योजना भिलाई-दुर्ग भाग-2 में उपान्तरण प्रस्तावित किये गये थे जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, प्रकाशित सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए.

अत: राज्य सरकार एतद्द्वारा ग्राम कातुलबोर्ड के खसरा नं. 3/33 नया 3/237 एवं 3/338 रकबा 0.486 हेक्टेयर की सूचना में किये गये उल्लेख अनुसार विकास योजना भिलाई-दुर्ग भाग-2, दुर्ग 2001 के निर्धारित आवासीय से कृषि उपयोग में उपान्तरण करने की पुष्टि करता है तथा सूचित करती है कि वह उपान्तरण भिलाई-दुर्ग भाग-दो, दुर्ग विकास योजना 2001 का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर, (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 6/316/2002/वाक./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती रीना वर्मा, जिला पंजीयक, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में अनुसंधान अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है की सेवायें वापस लेते हुये उन्हें, उप महानिरीक्षक पंजीयन के पद पर वेतनमान 10,000-325-15,200 में पदोन्नत कर, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक कार्यालय

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़, रायपुर में उप महानिरीक्षक पंजीयन के रिक्त पद पर पदस्थ करता है.

2. (i) पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर सक्षम अधिकारी को यह विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि—

(क) जिला पंजीयक के पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद आगे कोई पुनरीक्षण किये बिना सीधे ही मूल नियम 22-डी के अंतर्गत उप महानिरीक्षक पंजीयन के पद में उसका प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जावे.

अथवा

(ख) उप महानिरीक्षक पंजीयन के पद पर (पहली बार) उसका वेतन मूल नियम 22-ए (1) में दिये गये तरीके से निर्धारित किया जाये और दूसरी बार जिला पंजीयक के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी तारीख को उसका वेतन मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण किया जाये.

(ii) यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प (ख) अपनाया जाता है तो उसकी आगामी वेतनवृद्धि, दूसरी बार वेतन निर्धारण की तारीख से 12 माह की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने की तारीख को देय होगी.

(iii) इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प अपनाने पर अधिकारी को मूल नियम 22-डी (2) के प्रावधानों अनुसार नियम 22 के परन्तुक का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा एवं एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा.

(iv) उक्त पदोन्नति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2004

क्रमांक एफ-16-13-11-वा.उ./2001.—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि जनहित में तथा श्रमिक वर्ग के हित में मेसर्स अम्बूजा सीमेंट ईस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर को सहायता उपक्रम घोषित करना आवश्यक है.

2. अतएव छत्तीसगढ़ सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1978 (क्रमांक 32 सन् 1978) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा औद्योगिक इकाई अर्थात् "मेसर्स अम्बूजा सीमेन्ट ईस्टर्न लि. (पूर्व नाम मोदी सीमेंट लि.) रायपुर" को दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए सहायता उपक्रम घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2004

क्रमांक एफ-16-13-11-वा.उ./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-13-11-वा. उ./2001 दिनांक 18-6-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

Raipur, the 18th June 2004

No. F-16-13-11/2001.—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary in the Public Interest and in the interest of workers to declare the Industrial Unit, namely M/s Ambuja Cement Estern Ltd., (formerly Modi Cement Ltd.) Raipur, a relief undertaking.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision to Section 3 of the Chhattisgarh Sahayata Upkram (Vishesh Upbandh) Sansodhan Adhiniyam 1978 (No. 32 of 1978) the State Government hereby declare the Industrial Unit namely "M/s AMBUJA CEMENT EASTERN LTD., (formerly Modi Cement Ltd.) Raipur" a relief undertaking for the period with effect from 1st April, 2003 to 31st March, 2004.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. D. GUPTA, Deputy Secretary.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2004

क्रमांक एफ 1-35/2004/13-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 89 की उपधारा (2) एवं (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 288/ऊ. वि./वि.क.अ./2003 दिनांक 23-8-2003 एवं 403/स/ऊ.वि./2003 दिनांक 1-10-2003 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें नियम 2003" के नियम (2) एवं नियम (10) के स्थान पर निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित करता है :—

(2) आवास सुविधा :—

(अ) अध्यक्ष एवं सदस्य को आवास की सुविधा राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को प्राप्त आवास सुविधा के अनुरूप होगी.

(ब) आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं सदस्य को अधिकतम रुपये 50,000/- तक की आवास की साज-सज्जा की पात्रता होगी. आगामी अध्यक्ष एवं सदस्य को अधिकतम रुपये 10,000/-तक साज-सज्जा की पात्रता होगी.

(स) अध्यक्ष एवं सदस्य को निवासीय कार्यालय की पात्रता होगी.

(10) दूरभाष व अतिथि सत्कार सुविधा :—

(अ) दूरभाष :—अध्यक्ष एवं सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप दूरभाष की सुविधा प्राप्त होगी.

(ब) अतिथि सत्कार भत्ता :—अध्यक्ष के लिए रुपये 6,000/- प्रतिमाह तथा सदस्य के लिए रुपये 4,000/- प्रतिमाह अतिथि सत्कार भत्ता देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 अप्रैल 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 26/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोहाखान प. ह. नं. 34	0.411	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन रायगढ़.	लोहाखान जलाशय हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 597 /अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	छोटे अतरमुड़ा प. ह. नं. 13	0.619	कार्यपालन यंत्री, छ. ग. गृह निर्माण मंडल, संभाग बिलासपुर.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल की आवासीय कालोनी निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 23 जून 2004

क्रमांक/222/अ.वि.अ./भू-अर्जन/15 अ/82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	पड़कीपाली प. ह. नं. 118/65	0.12	कार्यपालन अभियंता, कोडार परियोजना, संभाग महासमुन्द	चंडी डोंगरी जलाशय योजना के अंतर्गत पड़कीपाली माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2004

क्रमांक 3773/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	बिचारपुर प. ह. नं. 18	0.19	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सुरही नहर विस्तार के अंतर्गत बिचारपुर माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2004

क्रमांक 3774/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	चम्पाटोला प. ह. नं. 4	6.66	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	चम्पाटोला टार बांध के अंतर्गत बांध पार एवं डूबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2004

क्रमांक 3775/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	गर्रा प. ह. नं. 15	0.97	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	मानीकचौरी डायवर्सन के अंतर्गत गर्रा माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 जून 2004

क्रमांक 3776/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	शिकारीटोला प. ह. नं. 10	3.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	सिरमाही टारबांध के डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 जुलाई 2004

क्रमांक 4572/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	जोरातराई प. ह. नं. 28	10.51	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, जिला दुर्ग.	रोंदा जलाशय के अंतर्गत बांध पार एवं डुबान.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 20 मई 2004

रा. प्र. क्र. 2/अ 82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	खूंटरापारा	0.35	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अंबिकापुर.	डुमरिया-गंगोटी मार्ग पर गोबरी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 मई 2004

रा.प्र.क्र. 3/अ 82/2003-20044.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	मोहरसोप	0.51	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अंबिकापुर.	ओडगी-बिहारपुर मार्ग पर बरंगा सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक 423/ले.पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	पथरिया	0.09	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	शिवनाथ नदी सेतु पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 अगस्त 2004

क्रमांक 426/ले.पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	चंगोरी	0.17	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	अंजोरा-चंगोरी मार्ग पर चंगोरी नाला सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 6 मई 2004

क्रमांक 142/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	चोपन	1.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बैकुण्ठपुर.	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बांध का निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 मई 2004

क्रमांक 769/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/04/अ/82-03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	धुमरापदर	11.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग गरियाबंद.	धुमरापदर जलाशय योजना के अंतर्गत उलट नाली निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर दिनांक 1 जुलाई 2004

प्रकरण क्र. 5 अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	लूफा	0.117	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चूना खोंदरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर दिनांक 1 जुलाई 2004

प्रकरण क्र. 7 अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बेहरामुड़ा	1.493	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेन्दरी पानी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर दिनांक 1 जुलाई 2004

प्रकरण क्र. 8 अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पचरा	15.765	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चावी जलाशय डूबान हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर दिनांक 1 जुलाई 2004

प्रकरण क्र. 9 अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	बांसाझाल	2.863	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांवी जलाशय के डूबान हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 अगस्त 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ 3.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बम्हनी प.ह.नं. 19	0.206	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चांपा, संभाग चांपा.	बम्हनी करनई देवरी मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 जुलाई 2004

रा. प्र. क्रमांक 01/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6-के-अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-गुनापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-43.50 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
9/1 ढ	1.60
9/1भ	0.15
9/1 फ	1.00
9/1 ड	2.00
9/1 प	1.00
9/10 ध	3.00
9/10 फ	3.00
9/10 थ	1.90
9/1 ण	1.34
63/1	3.00
63/3	0.72
9/1 घ	2.76
68	0.40
71	0.85
53/3	1.04
53/2	3.50
52/2	0.10

(1)	(2)
51/2	0.66
9/1 ग, 9/1 ड	0.78
9/1 ल, 9/1 व	2.10
9/1 म, 9/1 र	2.33
9/1 अ	0.50
9/1 ब	0.43
9/1 म	0.31
9/25	0.02
9/31	0.36
9/36	0.10
9/39	0.18
9/1 ख	1.00
9/10 झ	0.81
9/22	0.40
9/58	0.16
9/10 न	3.00
69/3	3.00
योग 32	43.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भरत सागर जलाशय के (डूबान) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक/क/भू-अर्जन/29-अ/82, 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-बिलाईगढ़
(ग) नगर/ग्राम-करबाडबरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.976 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
7/1	0.008
4	0.016
5	0.036
7/3	0.028
7/5	0.008
8	0.020
9/1	0.024
11/2	0.020
12/1	0.024
15,16	0.036
209/1	0.036
211	0.024
212	0.024
213/2	0.044
214	0.008
215/1	0.016
215/2	0.020
216/1	0.012
216/2	0.016
217	0.068
281/1	0.036

(1)	(2)
281/5	0.032
281/4	0.024
281/3	0.032
281/2	0.024
281/6	0.040
280	0.117
279	0.060
275/2	0.016
278/1	0.020
276	0.032
277	0.008
297	0.036
298/5	0.008
298/2	0.048
306	0.060
308/2	0.032
308/1	0.008
309/1	0.028
309/2	0.008
252/2	0.064
331/2	0.061
331/3	0.036
333	0.024
345/1	0.032
344/1	0.032
341/2	0.012
350	0.028
349/1	0.044
349/2	0.008
351	0.008
354/1	0.040
353	0.064
366/1	0.028
366/2	0.024
371/11	0.016
371/1	0.069
377/2	0.040
377/1	0.012
374	0.024
365	0.020
373/1	0.012
372/1	0.008
411/5 घ	0.073
411/5 ग	0.032
352/1	0.008
योग 64	1.976

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-करया-डबरी माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक/क/भू-अर्जन/30-अ/82, 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.714 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
344/4	0.040
344/6	0.061
344/7	0.038
342/2	0.088
342/1	0.064
206/3	0.088
206/6	0.040
206/4	0.077
210	0.068
198/2	0.053
198/4	0.040

(1)	(2)
197	0.139
190/1	0.056
190/3	0.061
188/2	0.032
188/1	0.084
180	0.040
178	0.040
224/1	0.028
159/3	0.032
159/2	0.036
157	0.028
156	0.038
152/3	0.008
154	0.056
153	0.024
121/2	0.032
126/3	0.072
126/2	0.049
126/1	0.024
124/1-2	0.024
123/1	0.032
189	0.004
111	0.016
110	0.008
108/6	0.016
11/1	0.037
11/4	0.032
108/3	0.016
10/1	0.056
89	0.012
88/5	0.012
112	0.016
90/2	0.016
90/1	0.318
92/1	0.418
92/2	0.008
116/1	0.008
95	0.032
91	0.008
26	0.081
187	0.008
योग 54	2.714

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रामपुर माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक/क/भू-अर्जन/31-अ/82, 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रमतला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.336 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
134/1, 138/1 ख	0.024
360/3	0.016
360/4	0.024
174/3 ग, 360/1	0.024
358, 359	0.061
357/12	0.028
357/2	0.024
357/3	0.036
357/4	0.016
348/1	0.004
349/1	0.016
351/1	0.040
357/5	0.020
344/1	0.044
342/1	0.008
342/4	0.016
341/2	0.008
341/1	0.008
340/1	0.036
340/2	0.012
337, 338, 339	0.024
336	0.016
469	0.008
472/3	0.008
473/2	0.024

(1)	(2)
468/4	0.016
475	0.016
468/2	0.016
476, 477	0.016
468/3	0.044
457/1	0.016
457/2	0.024
456/1	0.032
455	0.012
482/1-2	0.020
481	0.020
497/1	0.036
491/2	0.036
495	0.040
494/1	0.048
624/1	0.036
624/2	0.032
624/3	0.020
565	0.024
564	0.004
566/2, 569/2	0.012
566/1, 569/1	0.036
568/2	0.032
574/1	0.032
576/1	0.036
576/2	0.044
573	0.004
577	0.032
582	0.012
547/2	0.036
583/3	0.012
547/1	0.056
547/3	0.044
547/4	0.061
547/8	0.030
138/1 च, 138/1 क	0.101
138/6	0.020
138/5 क	0.477
164	0.020
84	0.186
योग 65	2.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- टाडापारा माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक/क/भू-अर्जन/32-अ/82, 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रमतला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.571 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
154/3	0.024
154/1	0.020
156/1	0.048
156/2	0.032
155/1	0.041
240/3	0.024
240/1	0.028
240/4-5	0.072
249/4	0.049
249/3	0.028
250	0.036
219	0.008
216/2	0.032
216/3	0.032
213/2	0.032
212	0.021
211/3	0.061
277/1	0.012
278	0.061
279	0.044
714	0.081
713	0.093
712	0.004
711	0.012
655	0.012

(1)	(2)
662	0.052
664/3	0.028
665/1	0.016
673	0.044
672/2	0.068
672/1	0.021
678/2	0.032
678/1	0.004
683/1	0.024
683/2	0.044
686/2	0.008
687	0.008
690	0.024
684	0.048
665/2	0.028
138/7	0.021
151/1	0.028
150	0.028
138/8 क	0.094
208	0.044
योग 45	1.571

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-रमतला माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक/क/भू-अर्जन/33-अ/82, 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खजरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.524 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
268/5	0.068
268/3	0.016
268/2	0.064
268/4	0.072
269/2	0.008
269/5	0.073
270/2	0.053
271/2	0.073
270/1	0.052
275/1	0.012
265/2	0.068
265/3	0.056
264/1	0.088
262/3	0.016
262/1	0.032
263/2	0.028
79/1 थ	0.056
79/1 द	0.198
79/1 घ	0.081
79/1 न	0.169
271/1	0.096
79/1 प	0.016
79/1 र	0.012
25/2	0.012
25/1	0.021
26/3	0.060
26/1	0.021
27/1	0.077
27/3	0.012
28	0.036
31/8	0.064
31/4	0.137
31/9	0.073

(1)	(2)
31/5	0.021
34	0.093
9	0.129
10/2	0.068
3/2	0.098
3/3	0.021
3/1	0.021
4/2	0.061
79/8 घ	0.088
योग 41	2.524

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक/क/भू-अर्जन/34-अ/82, 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भण्डोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.090 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
92/1	0.056
92/5	0.048
93/2	0.069
84/3	0.016
168/4	0.012
168/3	0.020
168/2	0.020
168/1	0.012
159/1	0.121
159/2	0.053
159/3	0.024
167, 327, 328	0.016
329	0.137
379/2	0.056
379/1	0.084
496/1	0.064
375/1	0.024
375/3	0.020
375/4	0.048
373/2	0.028
373/1	0.028
373/3	0.020
509	0.093
510	0.052
369/1	0.056
511/2	0.056
511/3	0.129
513/1-2, 514/1-2	0.012
515/1-2	0.105
518	0.113
519/1	0.084
519/3	0.032
520	0.093
626	0.093
625	0.121
522	0.109
622	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
526/4	0.020	175	0.129
527/2	0.044	382	0.121
527/1	0.061	323	0.105
614/1	0.012		
614/5	0.084	योग 54	3.090
166	0.028		
613/1	0.081		
607/3	0.101		
607/2	0.016		
608/2	0.008		
605	0.016		
606	0.068		
599/2	0.008		
601/1	0.036		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-भण्डोरा माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

"प्रारूप-ख"

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 24 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित हैं, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	उसलापुर/35	17	3.78

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 25 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	दवनडीह/36	41	12.17

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 26 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	कर्रा/36	21	8.74

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 27 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपंत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
बिलासपुर	मस्तुरी	धनियां/35	06	1.60

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 28 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
बिलासपुर	मस्तुरी	कुली/34	50	17.95

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 29 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	खम्हरियां/34	55	22.66

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 30 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	परसाही/36	16	7.16

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 31 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
बिलासपुर	मस्तुरी	लुतरा/34	24	7.28

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 32 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
बिलासपुर	मस्तुरी	भौंराडीह/34	24	7.08

बिलासपुर, दिनांक 12 अगस्त 2004

क्रमांक 33 अ 82/03-04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सोपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एनटीपीसी द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	खांडा/35	35	9.56

ए. के. तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

"प्रारूप-ख"

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 04.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलतानार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	कोरबी/22	46	14.22

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 05.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलतानार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	सुलतानार/20	50	17.43

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 06.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलताननार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	डोंगरी/22	48	15.12

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 07.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलताननार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प.ह.नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बलौदा/21	128	36.44

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 08.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलताननार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	हरदीविशाल/23	6	2.85

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 09.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलताननार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	चारपारा/20	24	9.63

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अगस्त 2004

क्रमांक 10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीबिशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सुलतानार, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप-लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	भिलाई/22	59	12.46

ए. लकड़ा,
अनुविभागीय अधिकारी.